


समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केंप, जबलपुर
पुनरीक्षण क्र. ५८४७-४७४७/२०१८ तिकट ५८४७/२०१८/होशंगाबाद/भ्र.८

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता :- श्रीमति कमलेश बाई पत्नि स्व. अशर्फी लाल चौधरी



द्वारा नैसर्गिक संरक्षक (भाई) मुकेश वर्मा पिता श्री
महादेव प्रसाद उम्र ३५ वर्ष, निवासी - ग्राम
भट्टी तहसील, इटारसी, जिला होशंगाबाद

विरुद्ध

अनावेदकगण:- १. लद्दाखीकांत पिता श्री पुरुषोत्तम चौधरी निवासी - ग्राम

तीरबड, तहसील, इटारसी, जिला होशंगाबाद

२ श्रीमति शाहिदा खातून पत्नि जनवा अब्दुल शकील
निवासी - ग्राम दमदम, तहसील, इटारसी, जिला
होशंगाबाद (म.प्र.)

३ प्रभुदयाल पिता हेमराज कुर्मी निवासी - आई. टी. आई.
के सामने, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा म.प्र.भू.रा. संहिता १९५९

आवेदक अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त नमर्दापुरम संभाग होशंगाबाद के
प्रकरण क्र. १८१/अप्रैल/१३-१४ में पारित आदेश दिनांक १४/०९/२०१५
से व्यवित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण पेश करता है :-

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4747/2018/होशंगाबाद/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-11-18	<p>आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह प्रकरण सुनवाई हेतु अग्राह्य किया जाता है ।</p> <p style="text-align: center;"> अद्यक्ष</p>	